

2018/00266

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम शिशुपाल

किसम मुकदमा दुरुस्ती

मुकदमा नं. 99
30/5/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/210 दिनांक 30/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत प्रार्थीगण के नाम चक 33ML की जमाबन्दी सम्वत् 2068-72 के खाता नं. 98 में खातेदार शिशुपाल 51-बोहन लाल कोम सुभा ल-देव बालेदा शरिन बसन्त अंकित है। जिसका नाम शिशुपाल है। जिसकी शिशुपाल 51-बोहन लाल के द्वारा शिशुपाल 51-बोहन लाल की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 30/5/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 33ML के खाता नं. 98 में दर्ज खातेदार शिशुपाल 51-बोहन लाल कोम सुभा ल-देव बालेदा शरिन बसन्त की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर